राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 36/2023 अपील

1. कैलाशचन्द्र पुत्र किशना गुवारिया निवासी आसींद जिला भीलवाडा	बनाम 1. नगर पालिका आसीन्द जरिए अधिशाषी अधिकारी
2. आजाद मोहम्मद पुत्र रहीम बक्ष पठान, निवासी आसींद जिला भीलवाडा	2. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार आसीन्द
3. तोशिफ पठान पुत्र अहमुद नूर पठान निवासी आसींद जिला भीलवाडा	
4. बसंती देवी पत्नी कैलाशचन्द्र गुवारिया निवासी आसींद जिला भीलवाडा	
–अपीलार्थी	–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज०लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

विरूद्ध

तहसीलदार आसीन्द कार्यालय आदेश कमांक/भू.अ./2023/1079 दिनांक 27.06.2023

उपस्थित –

1. श्री गोपाल अजमेरा, अपीलाण्ट अधिवक्ता
2. राजकीय पेरोकार, रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से

निर्णय

दिनांक :– 24/03/2026

अपील प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार आसींद के समक्ष रेस्पो–1 द्वारा उसकी आराजी 3865,3868,3871,3872 में अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण किया जाना वर्णित करते हुए 27/06/2023 को हटाया जाना प्रस्तावित होने का वर्णन किया। एवं अतिक्रमण की निष्पक्ष जांच व सीमाज्ञान हेतु कमेटी का गठन करने के आदेश किए जाने हेतु एक पत्र तहसीलदार आसींद को दिनांक 26/06/2023 को भेजा। जिस पर बिना सुनवाई के 27.06.2023 को सीमाज्ञान कमेटी का गठन कर दिया गया। 27.06.2023 को मौके पर पहुंची टीम ने अपीलाण्ट्स की अनुपस्थिति में गलत तौर माफ करते हुए ग्राम आसींद की आराजी संख्या 3871 व 3872 के पास सटमा स्थित अपीलाण्ट्स की आराजी संख्या 3870 व 7290/3871 के पास सटमा स्थित अपीलाण्ट्स संख्या 1 से 3 की आ0स0 64,65,66,67,68,69 स्थित हैं उसमें अनाधिकार तौर मापते हुए मौके पर पत्थर गाढ दिए जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की अन्य आराजी की अन्य आराजी 3865 व 3868 का सीमाज्ञान यह कहते हुए नहीं किया गया

24.3.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

कि मौके की समस्या है, आवासीय पक्के मकान व चारदीवारी बनी हुई है एवं मौके पर ग्राम गोपालपुरा की सीमा होने से जरीब से नाप नहीं किया जा सकता है इसलिए जीपीएस सर्वे/भू–प्रबंध विभाग नगर पालिका के स्तर पर नाप कराया जाना उचित नहीं है। इस प्रकार जब ग्राम गोपालपुरा की सीमा होने से जरीब से नापचोप नहीं किया जा सकता है तो आराजी संख्या 3871 व 3872 जो कि ग्राम गोपालपुरा की सरहद से लगी हुई है तो उसका माप किस प्रकार किया जा सकता है। इस प्रकरण में अपीलाण्ट्स को कोई सूचना नहीं दी गई एवं रेस्पोन्डेन्ट्स संख्या 1 द्वारा अपीलाण्ट्स को पक्षकार बनाए बिना व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी पडौसान को पक्षकार बनाकर नोटिस दिए बिना आदेश पारित किया, उससे अपीलाण्ट्स के हक अधिकार प्रभावित हो रहे है। रेस्पो–1 अपीलाण्ट्स को उनकी खातेदारी हक की आराजियात से बेदखल करने पर आमादा है। इस संदर्भ में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु सीपीसी धारा–96 का प्रा0पत्र अलग से पेश है।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किए, एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

रेस्पो–2 पक्ष ने बताया उक्त प्रकरण में नगरपालिका आसींद के पत्र दिनांक 26.06.2023 से सीमाज्ञान कमेटी का गठन किया गया। पटवारी हल्का आसींद ने इस प्रकरण में अवगत कराया कि उक्त आराजियात से ग्राम गोपालपुरा की सरहद मिलती है।

उभयपक्ष की बहस उपरान्त यह पाया गया कि अपीलाण्ट्स को अधीनस्थ न्यायालय से सुनवाई का अवसर नहीं मिला इसलिए व प्रश्नगत् भूमि का तकनीकि रूप से सीमाज्ञान कराना चाहते है। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 आ0एल०ए स्वीकार की जाकर प्रकरण में तहसीलदार आसींद को रिमाण्ड कर निर्देशित किया है प्रकरण में उभयपक्षों को सुना जाकर GPS System से अपीलकर्ता के खर्च पर उभयपक्षों की उपस्थिति में प्रकरण में पुनः पैमाईश संपादित करावें। निर्णय की प्रति अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका आसींद व तहसीलदार आसींद को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24.3.26

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा